न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र०

अपील 1512-PBR/07

राजस्व अपील क.– /2006

श्रीमती रुकमणी बाई पत्नी श्री डॉ. किशन कछवाहा निवासनी 532 विजय नगर चेरीताल वार्ड जबलपुर ......अपीलार्थिनी

विरूद्ध

1. **केशव प्रसाद** आत्मज स्व. श्री माधौराम पटैल निवासी पड़ाव वार्ड मण्डला
2. **किशोर कुमार** आत्मज स्व. श्री माधौराम पटैल
3. **अशोक कुमार** आत्मज स्व. श्री माधौराम पटैल
4. **चन्द्रकला** पत्नी राजा पटैल

नंबर 2 से 4 सभी निवासी ग्राम बिझिया, तहसील व जिला मण्डला

......प्रतिअपीलार्थीगण

श्री जे०पी० अग्रवाल अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतकार. 30 DEC 2005 अधीक्षक, कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

अपील अंतर्गत धारा 44 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959

1446 30/12/05

अपीलार्थिनी अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 559(अ) 6/2000–2001 में पारित आदेश दिनांक 7/10/2005 जो कि अनुविभागीय अधिकारी मण्डला द्वारा पारित आदेश दिनांक 30/10/1999 के प्रकरण कमांक 20 अ–6/98–99 के कारण उत्पन्न हुई थी जो कि न्यायालय सहायक भू मापन अधिकारी एवं अपर तहसीलदार मण्डला द्वारा प्रकरण क्रमांक 358 अ–6/97–98 में पारित आदेश दिनांक 9/9/98 के कारण उत्पन्न हुआ था से पीड़ित होकर निम्न अपील निम्न तथ्यों एवं कानूनी आधारों पर प्रस्तुत कर रही है –

क्रमांक 2648 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक 31-8-07 को प्राप्त क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

तथ्य

1. कि अपीलार्थिनी एवं प्रतिअपीलार्थीगण श्री माधौराम पटैल की संतान हैं तथा सगे भाई–बहिन हैं। प्रतिअपीलार्थीगण एवं अपीलार्थिनी के पिता माधौराम के नाम से मण्डला नगर में स्थित सीट कमांक 18 डी प्लाट नंबर 19/2, 19/3 तथा 17/4 सीट कमांक 18 सी 23–अ प्लाट नंबर 7/1 उनके नाम राजस्व लेखों में दर्ज थी एवं प्लाट कमांक 18 डी प्लाट नंबर 17/3, 76/6 एवं सीट कमांक 18 सी प्लाट कमांक 76/3 केशवप्रसाद आत्मज माधवराम पटेल के नाम दर्ज थी। अपीलार्थिनी एवं प्रतिअपीलार्थीगण के माता पिता की मृत्यु के उपरांत प्रतिअपीलार्थी कं 1 से 3 द्वारा अपर तहसीलदार मण्डला के समक्ष वसीयतनामा एवं पारिवारिक व्यवस्थापत्र के आधार पर नामान्तरण तथा बटवारा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर अपर तहसीलदार ने प्रतिअपीलार्थी कं 1 से 3 के बीच बटवारा करते हुये नामान्तरण का आदेश पारित किया गया था अपीलार्थिनी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध

अपील 1512 PBR/07 ([illegible])

27.4.16 | अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रत्यर्थी पक्ष पर उनके अधिवक्ता उपस्थित हैं। अपीलार्थी एवं उनके अधिवक्ता को आवाज-स्थान पर तीन बार आवाज लगवाई गई फिर भी कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

[कृ. प. उ.

अध्यक्ष

R. f.s.k.